6/2/17

मेड़ता

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अवलोकन
विचार दिनांक 20/2/17 को पेश हो।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

20/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 17/2/17 को प्राप्त।
संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासनी भैल
ने अ.भा. के माध्यम से प्रस्तुत की रिपोर्ट दिनांक 1.9.16 को की कि
अपार्टी पुन्नाराम पुत्र रामदास जाति बावरी निवासी नीलवास ने मौका
नीलवास के ख.नं. 192 रकबा 0.24 है. में सवंत 2073 स्थित
में पक्का बेकायदा चिनाई निर्माण कर अवैध कब्जा किया हुआ है।
इस प्रकार अपार्टी के विरुद्ध PRAGA 1956 की धारा 91 के तहत
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसे स्वयं
अपार्टी को विधिवत तामिल कराया गया। उक्त नोटिस के जवाब
में उत्तरदाता ने दिनांक 26/9/16 को जवाब पेश किया जिसमें उसने बताया
कि उक्त ख.नं. 192 रकबा 0.24 है. पर उसका कब्जा व काश्त जन्म
से है तथा उसके भरण पोषण का एक मात्र जरिया है।
इस पर पटवारी हल्का से स्थानक रिपोर्ट हेतु लिखा गया
जो कि दिनांक 17/2/17 को प्राप्त हुई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया
कि अपार्टी ने वाद ही सवंत 2073 स्थित में उक्त ख.नं. 192 रकबा 0.24 है.
पर अतिक्रमण किया है तथा उसका यह दावा कि वह जन्म से काबिज
है गलत है। साथ ही सम्पदा में अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल
किया जाना अति आवश्यक है।
उपरोक्त सभी व पत्रावली अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि
अपार्टी का पुन्नाराम आराजी पर अवैध कब्जा है। अतः अपार्टी
को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त अतिक्रमित
भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। गैर साधन को लगान
दर 20 x 0.24 = 4.8 का 50 गुणा रु. 240/- (दो सौ चालीस रु.) जुर्माना
आरोपित किया जाता है। गैर साधन को नोटिस का बेदखली करने के
जुर्माना वसूली के मांग कायमी हेतु पटवारी हल्का बासनी भैल व
TRA को लिखा जावे। पत्रावली कानूनी कार्यवाही पश्चात दफ्तर होकर
दफ्तर के लिए हो।
विशेष सरेदफ्तर प्रमाण रहा।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

दिनांक 20/6/17 ..... रुपये 240/-
नं. 4 केपद्ध सं. 16 ..... पर दर्ज की
तहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता